जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 01 प्रभात चूरू, सोमवार 29 अप्रेल, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

एक नए शोध के अनुसार मनुष्य के कारण संभवतः 1430 पक्षी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मानव इतिहास में लुप्त हुई कुल पक्षी प्रजातियों की गणना करने के लिए ''स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग'' का उपयोग किया। ज्ञात विलुप्तियों के साथ-साथ मॉडल ने उन प्रजातियों को भी शोध में शामिल किया जो मनुष्य द्वारा चिन्हित किए जाने से पहले ही विलुप्त हो गईं। नेचर कम्युनिकेशन्स जनरल में प्रकाशित इन नए अनुमानों के आधार पर वैज्ञानिकों का आकलन है कि, 1,30,000 वर्ष पूर्व, लेट प्लाइस्टोसीन काल से तकरीबन बारह प्रतिशत पक्षी प्रजातियाँ खत्म हो चुकी हैं। इनमें से अधिकतर प्रजातियों की समाप्ति के लिए कदाचित मनुष्य ही जिम्मेवार थे, विशेषरुप से द्वीपों पर, जहाँ जानवर किसी भी तरह के हस्तक्षेप को लेकर विशेषरुप से संवेदनशील होते हैं। मनुष्य ने जब हवाई, अज़ोर्स और टोंगा जैसे स्थानों पर सबसे पहले कदम रखा तो वो अपने साथ चूहे, सुअर, कुत्ते तथा अन्य जानवर लेकर आए। इस जानवरों ने पक्षियों के भोजन पर अपना अधिकार जमाया और उनके घोंसलों को भी तहस नहस किया। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ने जंगलों की कटाई, अत्यधिक शिकार और आग के द्वारा पक्षियों को खत्म करने में भूमिका निभाई। वैज्ञानिक पंद्रहवीं शताब्दी के बाद से लुप्त हुई पक्षी प्रजातियों के बारे में तो जानते हैं, क्योंकि इस काल से लिखित रिकॉर्ड रखे जाने लगे थे। लेकिन उन पक्षियों के बारे में, जो उस समय से पहले इस पृथ्वी पर थे और विलुप्त हो चुके थे, जानने के लिए वैज्ञानिकों को फॉसिल्स (जीवाश्मों) पर निर्भर होना पड़ता है। इससे वैज्ञानिकों को अधूरी तस्वीर ही मिल पाती है, क्योंकि पक्षियों की हड्डियाँ हल्की और खोखली होती हैं, जो बहुत आसानी से विघटित हो जाती हैं। लिखित रिकॉर्ड्स तथा अभी भी मौजूद कुछ जीवाश्मों के आधार पर पूर्व के आकलनों में कहा गया था कि, लेट प्लाइस्टोसीन काल से करीब 640 पक्षी प्रजातियाँ विलुप्त हुई हैं। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड्स में अंतराल होने के कारण वैज्ञानिकों को संशय था कि यह संख्या असल में बहुत अधिक होगी। शोध के सह लेखक रॉब कूक ने कहा, ''हम जानते हैं कि डोडो जैसे पक्षी हम खो चुके हैं, लेकिन हम उन विलुप्तियों के बारे में बेहतर आकलन चाहते थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है।''

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया

अरविंदर सिंह लवली ने आप पार्टी से गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की तथा कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिये जाने पर सवाल खड़े किये

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश के प्रभारी महासचिव पर मनमानी करने तथा दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ चुनावी गठबंधन के विरोध में अपने पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि, लवली का इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया है लेकिन त्यागपत्र को अभी स्वीकार नहीं किया गया है और उसमें लिखे बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है।

लवली ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजा है और उनका आभार जताया है कि, उन्होंने गत वर्ष अगस्त में उन्हें फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि पिछले 7-8 महीने के दौरान उन्होंने दिल्ली के सभी सात लोकसभा संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया और नाराज कार्यकर्ताओं तथा पार्टी छोड़ चुके कई कांग्रेसी नेताओं को फिर पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत करने का काम किया लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मनमानी से दिल्ली को लेकर फैसले लिए जिसके विरोध में वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

- अपने इस्तीफे में लवली ने लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस उस आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के विरुद्ध झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर गठित हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन किया है।
- लवली ने दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि प्रभारी महासचिव की मनमानी ज्यादा ही बढ़ गई है इसलिए वह पद छोड़ रहे हैं। लवली के मुताबिक उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने का भारी दबाव है।

उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि, दिल्ली कांग्रेस उस आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के विरुद्ध झूठे, मनगढंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर गठित हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन किया है। पार्टी नेतृत्व की इस निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ता खुश नहीं है इसलिए उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि, जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हो रही थी तो प्रदेश कार्यालय के बाहर दिल्ली के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन को लेकर पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार किया है।

उन्होंने दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि, प्रभारी महासचिव की मनमानी ज्यादा ही बढ़ गई है इसलिए वह पद छोड़ रहे हैं। लवली के मुताबिक उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने का भारी दबाव है।

लवली ने लिखा, यह पत्र में बहुत भारी मन से लिख रहा हूं। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सर्वसम्मत सभी फैसलों पर भी दिल्ली के प्रभारी रोक लगा देते हैं। जब से मुझे दिल्ली का पार्टी चीफ बनाया गया है तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।

लवली यही नहीं रुके और उन्होंने पत्र में आगे लिखा, मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी नियुक्ति का अनुरोध किया लेकिन प्रभारी ने इसे भी खारिज कर दिया। हालात यह हैं कि, दिल्ली प्रभारी ने अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है जिसकी वज़ह से अब तक दिल्ली के 150 ब्लॉक में प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे तीन पेज की पत्र में लवली ने कई फैसलों पर अप्पत्ति जताते हुए कहा है कि, इन सब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में धारीवाल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता : राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में नियुक्त शिव शर्मा ने इस मामले में जवाब पेश किया और धारीवाल के साथ ही तीन तत्कालीन अधिकारियों को क्लीन चिट दी

जयपुर, 28 अप्रेल (का.सं.)। राजधानी के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल और तीन तत्कालीन अधिकारियों को क्लीन चिट दी। राज्य सरकार के जवाब में कहा गया है कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता। गौरतलब है कि जब यह मामला हाईकोर्ट में था तो इस मामले में भाजपा नेताओं ने काफी बयानबाजी की थी।

राज्य सरकार ने एकल पट्टा प्रकरण में अशोक पाठक की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब पेश किया। वर्ष 2011 में जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था।

- गौरतलब है कि, जब यह मामला हाई कोर्ट में था तब भाजपा नेताओं ने इस मामले में काफी बयानबाजी की थी और तत्कालीन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे।

इस मामले में धारीवाल व तत्कालीन अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई, जिसके खिलाफ यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

इस पर राज्य सरकार की ओर से 22 अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट में पेश जवाब में कहा कि एकल पट्टा प्रकरण में नियमों की पूरी तरह से पालना की गई और इसमें राज्य को कोई वित्तीय हानि भी नहीं हुई।

उल्लेखनीय है कि, तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय ए.सी.बी. ने मामला दर्ज किया। इसमें तत्कालीन आई.ए.एस. जी.एस. संधू, तत्कालीन आर.ए.एस. निष्काम दिवाकर, तत्कालीन जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी व अन्य को गिरफ्तार किया और शांति धारीवाल से पूछताछ की। अब भजनलाल सरकार ने सभी को क्लीन चिट दी है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने के लिये शिव शर्मा को नियुक्त किया गया है।

उत्तराखण्ड में 5 नशा तस्कर गिरफ्तार

देहरादून, 28 अप्रैल (वार्ता)। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) की नशा उन्मूलन छापेमारी दल (ए.एन.टी.एफ.) और देहरादून पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग स्थानों से कई करोड़ रुपए कीमत के एल.एस.डी. ड्रग्स, हेरोइन और चरस बरामद की है। साथ ही, एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर सहित कुल पांच नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

- उत्तराखण्ड पुलिस ने तस्करों को करोड़ों रुपये चरस, एल.एस.डी. ड्रग्स आदि के साथ पकड़ा।

'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के अंतर्गत, एसटीएफ और पुलिस की टीमों को रविवार बड़ी सफलता मिली। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने आज बताया कि, थाना प्रेमनगर को शनिवार को कुख्यात कोबरा गैंग के सदस्यों द्वारा देहरादून में हाई प्रोफाइल ड्रग एलएसडी (लिजरजिक एसिड डाइथिलएमाइड)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व प्र.मंत्री देवगौड़ा के पोते एवं सांसद प्रज्वल रेवन्ना सैक्स स्कैंडल में फंसे

कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के सैक्स स्कैंडल वीडियो की जांच के आदेश दिये

बैंगलुरु, 28 अप्रेल। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और हसन लोकसभा सीट से जनता दल (सैक्यूलर) जे.डी.एस. सांसद प्रज्वल रेवन्ना कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. का गठन किया है। इस बीच, प्रज्वल ने देश छोड़ दिया है और वह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चले गए हैं। 26 अप्रैल को हुए कर्नाटक के पहले फेज के मतदान से दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हुए। वहीं, हसन सांसद ने भी एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हुए कहा है कि, वीडियोज में छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने और वोटर्स के दिमाग में जहर भरने के लिए उसे प्रसारित किया जा रहा है।

इंटरनेट पर वीडियोज वायरल होने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने सिद्धारमैया से एस.आई.टी. जांच करवाने का अनुरोध किया था। जांच का आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले में सरकार ने एक एस.आई.टी. बनाने का फैसला किया है। हसन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि, महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है।'' कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि, महिला आयोग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है।

- सैक्स स्कैंडल का मामला मीडिया में सामने आते ही प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जमर्नी भाग गये हैं।
- 26 अप्रैल को हुए कर्नाटक के पहले फेज के मतदान से दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर प्रज्वल रेवन्ना के कई वीडियोज वायरल हुये हैं।

इस दौरान, कांग्रेस जे.डी.एस. पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की महिला यूनिट की सदस्यों ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। 33 वर्षीय जेडीएस सांसद के खिलाफ नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने उनके पोस्टर जलाए और मामले की गहन जांच की मांग की। रेवन्ना हसन लोकसभा क्षेत्र से एन.डी.ए. के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। हाल के दिनों में कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर उनके कई सेक्स वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक कांग्रेस नेता ने कहा, ''उन्हें (प्रज्वल रेवन्ना) कड़ी सजा दी जानी चाहिए और उन्होंने इन महिलाओं के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। इससे पूरे कर्नाटक राज्य का सम्मान कम हुआ है।''

उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि, यौन उत्पीड़न के आरोप सिर्फ कुछ हसन के नेताओं पर ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री, विजयेंद्र, शोबक्का, अशोक, कुमारन्ना और अश्वथ नारायण को भी लोगों को जवाब देना चाहिए। आयोग ने सीएम और गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। मीडिया को इस पर प्रकाश डालना होगा और लोगों को इस पर चुप्पी साधे बिना बताना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगले कदम पर विचार करेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आर.एस.एस. ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया'

नागपुर, 28 अप्रैल। आरक्षण को खत्म करने के आरोपों के बीच आर.एस.एस. चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। भागवत ने घोषणा की कि, संघ परिवार ने कभी भी कुछ खास समूहों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। उन्होंने हैदराबाद में एक शैक्षिणक संस्थान में एक कार्यक्रम में कहा कि, संघ का मानना है कि, जब तक जरूरत हो, आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि, मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में आरक्षण को खत्म कर देगी।

- आरक्षण को खत्म करने के विपक्ष के आरोपों के बीच आर.एस.एस. चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया।

हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुंबई: देश भर में फैले बच्चा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़

मुम्बई क्राइम ब्रांच ने सात लोगों को 2 बच्चों के साथ गिरफ्तार किया, 80 हजार से लेकर 4 चार लाख में होती थी डील

मुम्बई, 28 अप्रेल। मुम्बई क्राइम ब्रांच यूनिट ने बच्चा बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग बच्चे को महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और अन्य दूसरे शहरों में बेचते थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बेचे गए 2 बच्चों का रेस्क्यू भी किया है। क्राइम ब्रांच की डी.सी.पी. रागसुधा आर. के मुताबिक उन्हें ये जानकारी मिली थी कि, विक्रोली की रहने वाली कांता पेडनेकर नामक महिला ने अपने 5 महीने के बच्चे को शीतल वारे नामक महिला को बेच दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने शीतल वारे को ढूंढ कर पूछताछ की तो पता चला कि शीतल ने सिर्फ 1 बच्चे को नहीं बल्कि 5 बच्चे को बेचा है। वहीं कांता पेडनेकर के बच्चे को एक डॉक्टर को बेच दिया है।

जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने उस डॉक्टर जिसका नाम संजय सोपनराव है। उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने बच्चे को किसी दूसरे आदमी को दो लाख में बेच दिया गया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने और जांच की तो पता चला की इस गिरोह ने अब तक कुल 14 बच्चों को बेचा है। बेचे गए बच्चों की उम्र करीब 8 महीने से लेकर 2 साल तक है।

- मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि, आरोपियों ने अब तक 14 बच्चों को बेचने की बात स्वीकार की है। लेकिन पूरी संभावना है कि, यह संख्या और बढ़ सकती है।
- इस मामले में एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। एक महिला ने पांच बच्चों की बात स्वीकार की है।

मुम्बई क्राइम ब्रांच अब तक इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुम्बई क्राइम ब्रांच ने अब तक रत्नागिरी और मालाड से दो बच्चों को रेस्क्यू भी किया है। क्राइम ब्रांच को जांच में ये पता चला कि, ये एजेंट फर्टिलिटी अस्पतालों में काम करते हैं। इसके चलते इन्हें आसानी से जानकारी मिल जाती है कि, किसे बच्चे की जरूरत है।

डी.सी.पी. रागसुधा आर. के मुताबिक अभी तक 14 बच्चों को बेचे जाने की जानकारी मिली है। हमलोग जांच कर रहे है और भी बच्चे के बेचे जाने की उम्मीद है। ये लोग बच्चे को 80 हजार से लेकर 4 लाख रुपये तक में बेचते थे। जिन दो बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है। उसे ढाई लाख और दो लाख में बेचा गया था। विक्रोली पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तार 7 आरोपियों के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में वंदना अमित पवार, शीतल गणेश वारे, स्नेहा, युवराज, सूर्यवंशी, नसीमा, हनीफ खान, लता नानाभाऊ सुरवाडे, शरद मारुति देवार, डॉ. संजय सोपानराव खंडारे शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने नवजात शिशुओं को अपने दलालों के माध्यम से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और राज्यों में बेचा है।

'चुनाव आयोग भाजपा का राजनीतिक हथियार'

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (वार्ता) आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को आरोप लगाया कि, चुनाव आयोग ने भाजपा का राजनीतिक हथियार बनकर पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी है। 'आप' की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज कहा, भाजपा का राजनीतिक हथियार बन चुकी चुनाव आयोग आप के कैंपेन गीत जेल का जबाव, वोट से देंगे पर रोक लगाई है। ऐसा सिर्फ़ तानाशाह सरकारों में ही विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। भाजपा

- आप ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा का राजनीतिक हथियार बनकर पार्टी के कैंपेन गीत ''जेल का जबाव, वोट से देंगे'' पर रोक लगा दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)